

औषध नरिमाण को बढावा देने के लयि स्वीकृत योजनाएँ

प्रीलमिस के लयि:

सक्रयि दवा सामग्री, बल्क ड्रग्स पार्क, उत्पादन आधारति प्रोत्साहन योजना

मेन्स के लयि:

औषध नरिमाण को बढावा देने से संबंधति मुददे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रमिंडल ने देश में अत्यंत महत्त्वपूर्ण सामग्री/ड्रग्स इंटरमीडिएट्स (Drug Intermediates) और सक्रयि दवा सामग्री के घरेलू उत्पादन को बढावा देने की मंजूरी दी ।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रमिंडल ने नमिन् योजनाओं की मंजूरी दी है:

- बल्क ड्रग्स पार्कों (Bulk Drugs Parks) को बढावा देने हेतु अगले 5 वर्षों के दौरान 3,000 करोड़ रुपए से 3 बल्क ड्रग्स पार्कों में साझा अवसंरचना को वतितीय सहायता प्रदान करने हेतु योजनाएँ ।
- अगले 8 वर्षों के दौरान के 6,940 करोड़ रुपए की धनराशि से देश में महत्त्वपूर्ण ड्रग्स मध्यस्थ और APIs के घरेलू उत्पादन को बढावा देने हेतु उत्पादन आधारति छूट (Production Linked Incentive-PLI) योजना को प्रोत्साहति करना ।

सक्रयि दवा सामग्री

(Active Pharmaceutical Ingredients-API):

- कसिी रोग के उपचार, रोकथाम अथवा अन्य औषधीय गतिविधि के लयि आवश्यक दवा के नरिमाण में प्रयोग होने वाले पदार्थ या पदार्थों के संयोजन को 'सक्रयि दवा सामग्री' के नाम से जाना जाता है ।

बल्क ड्रग्स पार्क को बढावा देना:

- **वतिरण:**
 - राज्यों के सहयोग से भारत में 3 बल्क ड्रग्स पार्कों को वकिसति करने का नरिणय लयिा गया है ।
 - प्रत्येक बल्क ड्रग्स पार्क के लयि भारत सरकार राज्यों को अधिकितम 1,000 करोड़ रुपए की वतितीय सहायता प्रदान करेगी ।
 - पार्कों में आम सुवधिएँ होंगी जैसे:- घोलक संयंत्र, आसवन संयंत्र, बजिली और भाप संयंत्र, साझा उत्सर्जन शोधन संयंत्र इत्यादी ।
 - इस योजना के लयि अगले 5 वर्षों के दौरान 3,000 करोड़ रुपए स्वीकृत कयि गए हैं ।
- **प्रभाव:**
 - इस योजना से देश में बल्क ड्रग्स के उत्पादन लागत एवं अन्य देशों पर नरिभरता कम होने की उम्मीद है ।
- **कार्यान्वयन:**
 - राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (State Implementing Agencies-SIA) इस योजना को लागू करेगी जसिका गठन संबंधति राज्य सरकार करेगी ।
 - 3 मेगा बल्क ड्रग्स पार्कों की स्थापना का लक्ष्य नरिधारति कयिा गया है ।

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना

(Production Linked Incentive-PLI):

■ विवरण:

- चहिनति 53 महत्वपूर्ण बल्क ड्रग्स के योग्य नरिमाताओं को अगले 6 वर्षों के दौरान सहायता दी जाएगी जो उत्पादन वृद्धि पर आधारित होगी और इसके लिये वर्ष 2019 -20 को आधार वर्ष माना जाएगा ।
- 53 चहिनति बल्क ड्रग्स में से 26 कणिवन आधारित बल्क ड्रग्स हैं और 27 रसायन संश्लेषण पर आधारित बल्क ड्रग्स हैं ।
- कणिवन आधारित बल्क ड्रग्स के लिये छूट की दर 20% (वकिर्य में वृद्धि के आधार पर) एवं रसायन संश्लेषण पर आधारित बल्क ड्रग्स के लिये छूट की दर 10% होगी ।
- अगले 8 वर्षों के लिये 6,940 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है ।

■ प्रभाव:

- इस योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण ड्रग्स इंटरमीडिएट्स और APIs में बड़े निवेश को आकर्षित करने के माध्यम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है । इससे ड्रग्स इंटरमीडिएट्स और APIs उत्पादन में अन्य देशों पर भारत की नरिभरता में कमी आएगी ।
- इससे अगले 8 वर्षों के दौरान 46,400 करोड़ रुपए मूल्य की वकिर्य वृद्धि तथा अतिरिक्त रोजगार सृजन की आशा है ।

■ कार्यान्वयन:

- इस योजना को परियोजना प्रबंधन एजेंसी (Project Management Agency-PMA) के माध्यम से लागू किया जाएगा एवं फार्मास्यूटिकल विभाग (Department of Pharmaceuticals) इस एजेंसी को नामांकित करेगा ।
- यह योजना केवल 53 चहिनति महत्वपूर्ण बल्क ड्रग्स इंटरमीडिएट्स और APIs के उत्पादन पर ही मान्य होगी ।

लाभ:

- तीन बल्क ड्रग्स पार्क की इस योजना के अंतर्गत प्राप्त वतितीय सहायता से साझा अवसंरचना सुविधाओं का नरिमाण किया जाएगा ।
- इससे देश में उत्पादन लागत में कमी आएगी और बल्क ड्रग्स के लिये अन्य देशों पर नरिभरता भी कम होगी ।

पृष्ठभूमि:

- मात्रा के आधार पर भारतीय दवा उद्योग का वशिष में तीसरा स्थान है ।
- हालाँकि इस उपलब्धि के बावजूद भारत कच्ची सामग्री (जैसे दवाओं के उत्पादन में उपयोग किये जाने वाले बल्क ड्रग्स) के लिये आयात पर नरिभर है ।
- कुछ वशिष बल्क ड्रग्स के मामले में आयात पर नरिभरता 80-100% तक है ।
- नागरिकों को कफियाती स्वास्थय देखभाल सुविधा सुनिश्चित करने के लिये दवाओं की नरितर आपूर्ति आवश्यक है ।
- आपूर्ति में अवरोध से दवा सुरक्षा पर वपिरीत प्रभाव पड़ सकता है जो देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है ।
- बल्क ड्रग्स के नरिमाण में आत्मनरिभर होना बहुत आवश्यक है ।

स्रोत: पीआईबी